

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
खगड़िया, सीतामढ़ी एवं मधेपुरा।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2506-भूमि-सुधार, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-101-जोतों और कास्तकारी विनिमयन, उप शीर्ष-0002 बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1981 के अंतर्गत अर्जित अवशेष भूमि के विरुद्ध मुआवजा माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2506001010002 विषय शीर्ष-3302 मुआवजा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल-6,91,178/- (छः लाख एकानवे हजार एक सौ अठत्तर) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-260 (8)रा0 दिनांक-24.03.2017 के आलोक में कुल-6,91,178/- (छः लाख एकानवे हजार एक सौ अठत्तर) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है:-

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	खगड़िया	1,07,208/-	1,07,208/-
2	सीतामढ़ी	2,98,796/-	2,98,796/-
3	मधेपुरा	2,85,174/-	2,85,174/-
	कुल	6,91,178/-	6,91,178/-

(छः लाख एकानवे हजार एक सौ अठत्तर) रुपये मात्र।

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0/2 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा किया जायेगा।
- राशि के निकासी के समय विपत्र पर ईकाई का कोड, माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चिता रूप से भेज दी जाय।
- यह राशि तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा प्राप्त राशि के अंतर्गत है।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

कू0पू0स0

ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग(बजट) बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी०मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।